ालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

ना –पत्र नम्बर 22/2019

वान पुरूषोतम सिह आदि बनाम परमपाल कौर आदि

र्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए

1. पुरूषोतम सिह पुत्र सरदूल सिह | जाति जटसिख साकिन भगतपुरा तहसील संगरिया।
2. जसप्रीत सिह पुत्र चुहड़ सिह |

प्रार्थी

विरूद्ध

1. परमपाल कौर पत्नि वीर सिह | जाति जटसिख साकिन संगरिया तहसील संगरिया
2. सुखदीप सिह पुत्र वीर सिह | जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

अप्रार्थी

–:आदेशः–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से चक 2 आरटीपी खाता संख्या 19/46 खाता जसप्रीत सिह वगैरा ज.स. 2071–74 मे कुल 2.239 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम चक 2 आरटीपी खाता संख्या 29/41 खाता परमपाल कौर वगैरा ज.स. 2071–2074 मे कुल 5.596 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। प्रार्थीगण कब्जा काश्त की प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी मे से चक 2 आरटीपी खाता संख्या 19/46 के प.न. 195/165 मु.न. 43 के किला नं. 9,11,12,19,22,23,24 की आराजी मे आने जाने हेतु कोई मंजुर शुद्दा रास्ता नही है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त खातेदारी भूमि मे काश्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने हेतु। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त की चक 2 आरटीपी खाता संख्या 29/41 खाता परमपाल कौर वगैरा में प.न. 194/165 मु.न. 44 के किला नं. 6/0.139 व प.न. 195/165 मु.न. 43 के किला नं. 10/253 में पूर्व से पश्चिम मु.न. 44 के किला नं. 5 मु.न. 43 के किला न. 1 से चिपता हुआ 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थीगण अपने खेत में आसानी से जा सकते है। अतः प्रार्थीगण इसी मुताबिक रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से कई दफा निवेदन किया कि वे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र की दफा 4 के मुताबिक रास्ता मंजूर करवा देवे तथा प्रार्थीगण उक्त रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है तथा मुताबिक डीएलसी रेट दोगुनी राशी देने को तैयार है तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अन्त में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उक्त नि[illegible] इन्कार हो गये। यही विनाय प्रार्थना पत्र है।

अतः प्रार्थीगण को अपनी कृषि में आवागमन, कृषि कार्य के सम्पादन [illegible] करने हेतु, अप्रार्थी सख्या 1 व 2 कब्जा काश्त की चक 2 आरटीपी खाता संख्या 29/41 खाता [illegible]ाल कौर वगैरा मे प.न. 194/165 मु.न. 44 के किला न. 6/0.139 व प.न. 195/165 मु.न. 43 के किला न. 10/0.253 मे पूर्व से पश्चिम मु.न. 44 के किला न. 5 मु.न. 43 के किला न. 1 से चिपता हुआ 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किा जावे प्रार्थीगण मुताबिक डीएलसी रेट रास्ता की कृषि भूमि दोगुना राशि भी करने को तैयार है। अतः उक्त रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.11 16:08:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। र्थी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये लेकिन बार समय दिये जाने पर जवाब प्रस्तुत नही ा। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 643 दिनांक 05.06.2020 द्वारा पक्षकार पस मे सहमत नही होना व प्रार्थीगण को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना एवं रास्ता स्वीकृत किये जाने ो अनुशंषा की गई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु ''रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता'' एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट्तया प्रकट होती है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 02 आरटीपी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्धा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थीगण के रकबा में से चक 2 आरटीपी के प.न. 194/165 मु.न. 44 किला न. 6 एवं प.न. 195/165 मु.न. 43 किला नं. 10 में पूर्व से पश्चिम मु.न. 44 के किला नं. 5 मु.न. 43 के किला नं. 1 से चिपता हुआ 2–2 बिस्वा रास्ता डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये तथा राशि जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर चालू करवाया जावें। अप्रार्थी को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ.निरीक्षक की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावे, तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 28.10.2024 [illegible] लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.11 16:08:56 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया